

राजस्थान सरकार
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर
कमांक:- प () आर.एम.एस.सी.एल./2011/SEL - 1 **दिनांक:- 06-05-11**
आदेश

राज्य सरकार के आदेश कमांक प 20 () चिस्वा /2/2011 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा गठित "राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड" के समस्त क्रियाकलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए मंत्रीमण्डल ज्ञापन कमांक प. 20(3)चिस्वा/ग्रुप-2/2011 दिनांक 31.03.2011 जिसका अनुमोदन मंत्रीमण्डल की आज्ञा 49/2011 दिनांक 04.04.2011 के द्वारा किया गया के बिन्दु सख्या v (9) के अन्तर्गत निम्न सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में किया जाता है।

1. प्रिंसीपल, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय)
4. उप शासन सचिव, वित्त (बजट)
5. उप शासन सचिव (ग्रुप-1), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निदेशक, जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एच.ए.
7. विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर/एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, आर.डी.पी.एल.
9. महा प्रबंधक, सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (मेडिकल ब्रांच)

विशेष आमन्त्रित सदस्य:-

1. डॉ. अशोक पांगडिया, सदस्य राज्य (चिकित्सा) योजना बोर्ड।
2. डॉ. नरपत सिंह शेखावत, भूतपूर्व अधीक्षक एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर।
3. प्रोफेसर पी.सी. डांडिया, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष फार्माकोलोजी विभाग।
4. प्रोफेसर एन.के. गुरबानी

टेक्निकल सलाहकार समिति समय-समय पर बैठके आयोजित कर निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा कर उचित सुझाव प्रस्तुत करेगी ताकि आर.एम.एस.सी.एल. के मुख्य उद्देश्यों का क्रियान्वयन भलीभांति हो सके।

- (अ) औषधियों के क्रय करने, किस प्रकार क्रय करने एवं कौन-कौन सी औषधियां क्रय करने।
- (ब) आवश्यक उपकरणों की खरीद।
- (स) दवाओं की गुणवत्ता के माप दण्ड तय करने।
- (द) चिकित्सालयों हेतु बजट आवंटन।
- (य) राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक,
आरएमएससीएल एवं
मिशन निदेशक,
एनआरएचएम

कमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. (समन्वयक)
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय)/बजट
4. प्रिंसीपल, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय।
6. विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/आर.सी.एच./एच.ए.।
8. विशेष आमंत्रित टेक्निकल सलाहकार समिति सदस्य
9. प्रबंध निदेशक, आर.डी.पी.एल.
10. महा प्रबंधक, सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (मेडिकल ब्रांच)

प्रबन्ध निदेशक,
आरएमएससीएल एवं
मिशन निदेशक,
एनआरएचएम